निविदा की शर्त्तें :-

उपर्युक्त सामग्रियों की आपुर्ति के लिए मुहरबंद लिफाफा में **दिनांक 17.01.2019 को अपराह्न 3.00 (तीन बजे) तक** कोटेशन निम्नाकिंत शर्त्तों के साथ आमंत्रित किया जाता है।

1. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त कोटेशन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. कोटेशनदाता को 5 % (पाँच प्रतिशत) अग्रधन की राशि,कोटेशन के साथ जमा करनी होगी। यह रकम एन०एस०सी० या सावधि जमा के रूप में कार्यपालक अभियंता,रा०ग्रा०नि०कार्य०,गोड्डा के नाम से प्रतिज्ञित होना चाहिए।
3. बिना अग्रधन राशि का कोटेशन जमा अमान्य होगा।
4. कोटेशनदाता को कोटेशन के साथ अपना पेननं० एवं जी०एस०टी०नं० के साथ–साथ अद्यतन आयकर सफाया प्रमाणपत्र एवं जी०एस०टी० सफाया प्रमाणपत्र सलंग्न करना अनिवार्यहोगा।
5. प्राप्त कोटेशन **दिनांक 17.01.2019 को अपराह्न 3.30** बजे अद्योहस्ताक्षरी की उपस्थितिमें खोला जायेगा।
6. उक्त तिथि एवं समय पर कोटेशन दाता को स्वयं या उनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।
7. न्युनतम कोटेशन दाता को नमुना के तौर पर एक डैक्स एवं बैंच आपुर्ति आदेश देने के पूर्व अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में तैयार कर जमा करना अनिवार्य होगा जो आपुर्ति किये जाने वाले डेक्स एवं बैंच की संख्या में शामिल होगा।
8. आपुर्ति ली जाने वाले बैंच एवं डैस्क की कुल संख्या आपुर्ति आदेश में अंकित किया जायेगा।
9. आपुर्तिकर्त्ता को राशि का भुगतान लेखा भुगतेय चेक के माध्यम से आपुर्ति के पश्चात किया जायेगा।
10. विपत्र की कुल राशि का 5% (पाँच प्रतिशत) राशि काटकर रखी जायेगी।कटौती कर रखी गई राशि संबंधित **"वीर कुँवर सिंह इन्टर महाविधालय, गोड्डा"** के प्राचार्य के द्वारा प्राप्ति रसीद एवं उनके द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र जमाकरने के पश्चात भुगतान किया जायेगा।
11. निविदा–समिति के निर्णय पर किसी प्रकार का वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।
12. अन्य बातें समान रहने पर न्युनतम दर वाले कोटेशन को आपुर्ति आदेश दिया जायेगा।इस संबंध में निविदा–समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा किसी निविदा विशेष के या सम्पूर्ण निविदा को रद्ध करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी या निविदा–समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
13. आपुर्ति के एवज में विपत्र से जी०एस०टी० एवं आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
14. सफल कोटेशन जिन्हें आपुर्ति आदेश दिया जायेगा,उनके जमानत राशि को उपस्करों के आपुर्ति करने एवं निर्धारित अन्य शर्त्तो का अनुपालन कर लेने के पश्चात ही वापस किया जायेगा।
15. सफल कोटेशन को आपुर्ति आदेश के साथ किसी प्रकार की अग्रिम राशि नहीं दी जायेगी।
16. टुटा अथवा क्षतिग्रस्त अथवा कमजोर / निम्न गुणवत्ता के उपस्करों की आपुर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी, ऐसे कोटेशनदाता के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
17. अन्य बातें समान रहने पर स्थानीय एवं स्वच्छ आपुर्तिकर्त्ता को प्राथमिकता दी जायेगा,किन्तु इसके संबंध मेंसमिति का निर्णय अंतिम होगा।
18. अद्योहस्ताक्षरी के निर्णय पर किसी प्रकार का वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।
19. अन्य बातें समान रहने पर न्युनतम दर वाले कोटेशनदाता को आपुर्ति आदेश दिया जायेगा।इस संबंध में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा तथा किसी कोटेशन विशेष के या सम्पूर्ण कोटेशन को रद्ध करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी या निविदा–समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
20. The bidder had to submit authorization certificate of manufacture, if he is not manufacture, authorize dealership certificate must be furnished along with documents
21. सशर्त्त कोटेशन अमान्य होगा।

कोटेशनकी शर्त्तें **www.jharkhand.gov.in,www.godda.nic.in**एवं कार्यालय के सूचनापट पर देखा जा सकता है ।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
रा०ग्रा०नि०कार्य०,गोड्डा।